

वशेष श्रेणी का दर्जा

प्रलिस के ललतः

वशेष श्रेणी के राज्य, गाडगलल सुतुर

मेन्स के ललतः

वशेष श्रेणी की स्थतलतल से जुडे ललभ और मुददे

चरुा में कुतुँ?

हलल ही में केँदरीय वततलत मंतुरी ने स्पषुट कुतुँ कलतल ककुँदर कसलुी भी राज्य के ललतल 'वशेष श्रेणी के दर्जे' की मांग पर वकुलर नहुी करेगा कुतुँकल 14वें वततलत आयोग ने स्पषुट रूप से कहुल है ककुँ वशेष दर्जल नहुी दलतल जल सकतल है ।

- यह ओडशल, बहलर, आंधुर प्रदेश जैसे राजतुँ के ललतल बडुल इतकल है कुतुँकलतुँ राज्य पकुँले कुकु वरुषुँ से वशेष श्रेणी के दर्जे की मांग कर रहे हैं ।

वशेष श्रेणी का दर्जल (SCS):

परकुतलतः

- वशेष श्रेणी का दर्जल (SCS) केँदर दवलरल नरलधलरतल उन राजतुँ का एक वरुगीकरण है जल भुँगलकल और सलमलजकल-आरुथकल नुकसलन कल सलमनल करतुँ हैं ।
- संवधलन SCS के ललतल प्रलवधलन नहुी करतल है और यह वरुगीकरण बलद में 1969 में पलँचवें वततलत आयोग की सफलरशलुँ के आधलर पर कलतल गलतल थल ।
- पहलुी बलर वरुष 1969 में जममू-कशुमीर, असम और नगललँड कुल यह दर्जल दलतल गलतल थल ।
- पूरुव में तुँजलनल आयोग की रलषुटुरीय वकलस परषलद दवलरल तुँजलनल के तहत सहायतल के ललतल SCS प्रदलन कलतल गलतल थल ।
- असम, नगललँड, हमलचल प्रदेश, मणतुलर, मेघललत, सकलकमल, तुरतुलरल, अरुणलचल प्रदेश, मलुोरम, उतुतरलखंड और तेलंगलनल सहतल 11 राजतुँ कुल वशेष श्रेणी का दर्जल दलतल गलतल ।
 - तेलंगलनल, बलरत के सबसे नवलन राजतुँ कुल यह दर्जल दलतल गलतल थल कुतुँकलतुँ आंधुर प्रदेश राज्य से अलग कलतल गलतल थल ।
- 14वें वततलत आयोग ने पूरुवतुतर और तीन पहलडुी राजतुँ कुल कुकुडकर अनतुँ राजतुँ के ललतल 'वशेष श्रेणी का दर्जल' सलमलतु कर दलतल है ।
 - इसने सुझलव दलतल कल प्रतुतुके राज्य के संसलधन अंतुर कुल 'कर हसुतलंतुरण' के मलधुतुम से भरल जलए, केँदर से कर रलजसुव में राजतुँ की हसलसेदलरी कुल 32% से बडुलकर 42% करने कल आगुरह कलतल गलतल है ।
- SCS, वशेष स्थतलतल से अलग है जल बडे हुए वधलतुी और रलजनीतकल अधकलर प्रदलन करतुी है, जबकल वशेष श्रेणी का दर्जल (SCS) केवल आरुथकल और वतुतुतुीय पहलुँ से संबंधतल है ।
 - उदलहरण के ललतल [अनुकुषुदे 370](#) के नरलसुत होने से पहले जममू-कशुमीर कुल वशेष दर्जल प्रलरुतु थल ।

नरलधलरक (गलडगलल सफलरशल पर आधलरतल):

- पहलडुी इललकल
- कम जनसंखुतुल घनतुव और/ल जनजलतुीय जनसंखुतुल कल बडुल हसलसल
- पडुुुी देशुँ के सलथ सीमलँकुँ पर सलमरकल स्थतलतल
- आरुथकल और आधलरभूत संरकुनल पकुँडुलडलन
- राज्य के वततलतु की अवुतुवहलरुतु प्रकुतुतल

वशेष श्रेणी के दर्जे के ललभ:

- अनतुँ राजतुँ के मलमले में 60% लल 75% की तुलनल में [केँदर प्रलतुऑतल तुँजलनल](#) में आवशुतुक नधलकल 90% वशेष श्रेणी के राजतुँ कुल भुगतलन

किया जाता है, जबकि शेष नधि राज्‍य सरकारों द्वारा प्रदान की जाती है।

- वत्तीय वर्ष में अव्ययति नधिव्यपगत नहीं होती है और इसे आगे बढ़ाया जाता है।
- इन राज्‍यों को उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क, आयकर एवं नगिम कर में महत्त्वपूर्ण रधियतें प्रदान की जाती हैं।
- केंद्र के सकल बजट का 30% वशिष श्रेणी के राज्‍यों को प्रदान किया जाता है।

वशिष श्रेणी के दर्जे के संबंध में चत्ताएँ:

- यह केंद्रीय वत्ति पर दबाव में वृद्धिकरता है।
- साथ ही एक राज्‍य को वशिष दर्जा देने सेदूसरे राज्‍य भी ऐसी मांग करने लगते हैं। उदाहरण के लधि आंध्र प्रदेश, ओडशा और बहार द्वारा की जाने वाली मांग।

नषिकर्ष:

- जैसा कि 14वें वत्ति आयोग ने सुझाव दधिया था, राज्‍यों को कर हस्तांतरण बढ़ाकर 42% कर दधिया गया है और इसे [15वें वत्ति आयोग \(41%\)](#) द्वारा भी जारी रखा गया है ताकि SCS का वसितार कधि बना संसाधन भन्निता/अंतर को कम कधि जा सके।

[स्रोत: द हट्टि](#)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/special-category-status-2>

